न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज नानगी देवी बनाम ग्राम पंचायत मु.नं. 01 / 22 अपील	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.2022	आज पत्रावली चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। अपीलाण्टन्स की अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मंडावर तहसील मण्डावर में खसरा नम्बर 1319/1872, 1320, 1321/1874, 1322/1876, 1323/1878, 1324/2010, 1331, 826, 827, 844 कुल किता 10 रकबा 1.06 हैक्टेयर में अपीलाण्ट के पिता कन्हैया पुत्र धीस्या का 1/4 हिस्सा है। अपीलाण्ट के पिता कन्हैया पुत्र धीस्या का दिनांक 14.06.2019 को देहान्त हो चुका है। अपीलाण्ट के पिता का देहान्त हो जाने के बाद अपीलाण्ट तीन पुत्रियां वारिस है। पटवारी हल्का द्वारा मृतक कन्हैया की वारिस का नामान्तरण तीनों पुत्रियों अपीलान्टस के नाम से खेलना चाहियें था लेकिन अपीलाण्ट के पिता कन्हैया पुत्र धीस्या की मृत्यु हो जाने के बाद विरासत का नामान्तरकरण काली देवी पुत्री कन्हैया, नानकी पत्नी स्व. कन्हैया व पप्पी बाई पुत्री कन्हैया के नाम से नामान्तकरण संख्या 1466 पटवारी हल्का मण्डावर द्वारा दिनांक 07.04.2021 को दर्ज किया जाकर भू.अ.नि. मण्डावर द्वारा दिनांक 08.07.2021 को जांच की गयी तथा ग्राम पंचायत मंडावर द्वारा विवादित नामान्तकरण को दिनांक 23.07.2021 को स्वीकार किया गया जबकि कन्हैया की पत्नी श्रीमति बिरजी देवी कि मृत्यु दिनांक 24.02.2021 को ही हो गई थी। उक्त नामान्तकरण को भरने या स्वीकार करने से पूर्व राजस्व कर्मचारियों द्वारा मृतक के वारिसान बाबत कोई जांच नहीं की गई और ना ही अपीलाण्टस को कोई नोटिस सुनवाई हेतु दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है। ग्राम पंचायत मंडावर भी नामान्तकरण को स्वीकार करने से पूर्व मृतक कन्हैया के वारिसान बावत कोई जांच नही की गयी और नामान्तकरण विवादित को स्वीकार कर लिया गया। जो कानूनी गलत है। उक्त नामान्तकरण काली देवी पुत्र कन्हैया, पप्पी बाई पुत्री कन्हैया एवं नानकी देवी पुत्री कन्हैया के नाम से खोलना व स्वीकार करना चाहिये। अत अपीलाण्टस की ओर से अपील पेश कर अर्ज है कि अपीलाण्टस के पिता कन्हैया का विरासत का नामान्तकरण संख्या 1466 दिनांक 23.07.2021 ग्राम मंडावर तहसील मंडावर निरस्त फरमाया जाकर नामान्तकरण काली देवी पुत्र कन्हैया, पप्पी बाई पुत्री कन्हैया एवं नानकी देवी पुत्री कन्हैया के नाम से खोलना व स्वीकार करने हेतु तहसीलदार मंडावर को आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अपील दर्ज कर तहसीलदार मण्डावर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मंडावर ने रिपोर्ट में अंकित किया कि उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 1466 दिनांक 07.04.2021 दर्ज एवं स्वीकृत करते समय पुत्री के स्थान पर सहवन से पत्नी दर्ज कर दिया गया है। जबकि मृतक की पत्नी की मृत्यु दिनांक 24.02.2021 को पूर्व में ही हो चुकी है एवं मृतक खातेदार कन्हैया के केवल तीन पुत्रिया जिनका नाम काली देवी,नानगी एवं पप्पी बाई है। इसके अलावा अन्य कोई वारिस नही है।	

सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज नानगी देवी बनाम ग्राम पंचायत मु.नं. 01/22 अपील	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.2022	हमने वकील अपीलान्ट एवं सरकार पैरोकर की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील में तहसीलदार मंडावर की रिपोर्ट आधार पर नामान्तकरण संख्या 1466 दिनांक 07.04.2021 को दर्ज करते समय सहवन से नानगी पत्नी कन्हैया दर्ज हो गया जबकि सही वारिस नानगी पुत्री कन्हैया होना चाहिये था। इसी आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य है। अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 1466 दिनांक 23.07.2021 खारिज किया जाता है । तहसीलदार मंडावर को आदेशित किया जाता है कि पुनः नामान्तकरण मृतक कन्हैया के वारिसान पुत्रिया काली देवी पुत्री कन्हैया, नानगी देवी पुत्री कन्हैया एवं पप्पी पुत्री कन्हैया के नाम दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल 'शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत महवा (दौसा) न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच महवा सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत महवा (दौसा) राजस्व अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच महवा	12/11/22